न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान जगदीश आदि बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 101/2024
निर्णय दिनांक ......24/4/25..........

1. जगदीश पुत्र घासी राम जाति जाट निवासी ढाणी चारण कालियासर तहसील झुन्झुनु जिला झुन्झुनु।
2. कैलाश पुत्र घासी राम जाति जाट निवासी ढाणी चारण कालियासर तहसील झुन्झुनु जिला झुन्झुनु।
3. संजय कुमार पुत्र घासी राम जाति जाट निवासी ढाणी चारण कालियासर तहसील झुन्झुनु जिला झुन्झुनु ।

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा हडियाल तहसील तारानगर के खसरा सं. 818 तादादी 1.0495 हेक्ट. व रोही मौजा नरसीनगर के खसरा सं. 713 तादादी 5.5512 हैक्ट., खसरा नं. 807 तादादी 3.6544 हैक्ट. कुल तादादी 9.2056 हैक्ट. प्रार्थीगण की माता के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की माता का नाम सुमित्रा पुत्री भोजाराम अंकित है। प्रार्थीगण का कथन है कि पहचान–पत्र,राशन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण की माता का नाम संतोष पुत्री भोजाराम है। प्रार्थीगण जमांबदी में अपनी माता का नाम सुमित्रा पुत्री भोजाराम के स्थान पर संतोष पुत्री भोजाराम करवाने का निवेदन किया है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा हडियाल तहसील तारानगर के खसरा सं. 818 तादादी 1.0495 हेक्ट. व रोही मौजा नरसीनगर के खसरा सं. 713 तादादी 5.5512 हैक्ट., खसरा नं. 807 तादादी 3.6544 हैक्ट. कुल तादादी 9.2056 हैक्ट. में प्रार्थीगण की माता का नाम संतोष पुत्री भोजाराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीगण की माता का नाम सुमित्रा पुत्री भोजाराम व संतोष पुत्री भोजाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

प्रार्थीगण की ओर सहखातेदार रामदेवाराम व सुरेन्द्र पुत्रान भोजाराम, जाति जाट, निवासी टमकोर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज पहचान–पत्र,राशन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा सहखातेदारों के शपथ पत्र से वादी का नाम संतोष पुत्री भोजाराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की माता का नाम सुमित्रा पुत्री भोजाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा हडियाल तहसील तारानगर के खसरा सं. 818 तादादी 1.0495 हेक्ट. व रोही मौजा नरसीनगर के खसरा सं. 713 तादादी 5.5512 हैक्ट., खसरा नं. 807 तादादी 3.6544 हैक्ट. कुल तादादी 9.2056 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण की माता का नाम **सुमित्रा पुत्री भोजाराम Delete** कर इसके स्थान पर **संतोष पुत्री भोजाराम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/5/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)